



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 207] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्टूबर 20, 2011/आश्विन 28, 1933
No. 207] NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 20, 2011/ASVINA 28, 1933

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 अक्टूबर, 2011

सं. बी-12015/33(34)/समन्वयन/2009.—जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) की धारा 12 की उप-धारा (3क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में समूह 'क' वैज्ञानिक एवं तकनीकी पद विनियम, 2009 में संशोधन हेतु एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :-

- (1) इन विनियमों को "केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में वैज्ञानिक एवं तकनीकी समूह 'क' पद (संशोधन) विनियम, 2011" कहा जायेगा।
- (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 'भर्ती, पुनर्विलोकन एवं पदोन्नति' से संबंधित विनियम-8 के स्थान पर निम्नलिखित को प्रौढस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-
"भर्ती, पुनर्विलोकन एवं पदोन्नति" :-
(1) सुनम्य अनुपूरक प्रणाली के अंतर्गत दो स्तरों पर मूल्यांकन किया जायेगा। स्क्रीनिंग के प्रयोजन से पहले स्तर का मूल्यांकन आंतरिक स्तर पर होगा तथा दूसरे स्तर पर बाह्य सदस्यों की अधिकता होगी।
(2) पहले स्तर की स्क्रीनिंग हेतु बोर्ड की आंतरिक स्क्रीनिंग कमेटी (आंतरिक): वार्षिक कार्य रिपोर्टों के मूल्यांकन के लिए सुनम्य अनुपूरक प्रणाली के अंतर्गत पदों के उन्नयन के लिए मापदण्ड हेतु निम्नानुसार बोर्ड की एक समुचित आंतरिक स्क्रीनिंग कमेटी गठित की जायेगी, अर्थात् :-

पद	बोर्ड की आंतरिक स्क्रीनिंग कमेटी का संयोजन
(1)	(2)
वैज्ञानिक "च" एवं वैज्ञानिक "ड"	सचिव, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय या उनका नामनिर्देशिती जो चयन किए जाने वाले पद (पदों) के स्तर से कम से कम दो स्तर ऊपर हो। अध्यक्ष, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
	—अध्यक्ष —सदस्य

(1)	(2)	
	पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से एक विशेषज्ञ (सचिव, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा नाम निर्दिष्ट)	—सदस्य
वैज्ञानिक "घ"	अध्यक्ष, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	—अध्यक्ष
वैज्ञानिक "ग" एवं वैज्ञानिक "ख"	केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का एक सदस्य या बाह्य सदस्य (अध्यक्ष, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा नाम निर्दिष्ट)	—सदस्य
	संयुक्त सचिव, (पर्यावरण एवं वन मंत्रालय में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मामलों से संबद्ध) या उनका नाम निर्देशित	सदस्य
	सदस्य सचिव, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	—सदस्य
<p>आन्तरिक स्क्रीनिंग कमेटी वैज्ञानिक द्वारा किये गये कार्य की वैज्ञानिक विषय-वस्तु को रिपोर्टिंग प्रपत्र [परिशिष्ट-III] के भाग-ग में प्रतिवेदित करेगी, जिसे दूसरे स्तर की स्क्रीनिंग हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की मूल्यांकन समिति (बाह्य) को उपलब्ध कराया जायेगा।</p> <p>(3) दूसरे स्तर की स्क्रीनिंग हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की मूल्यांकन समिति (बाह्य) उच्च ग्रेड के लिए वैज्ञानिकों की योग्यता जानने हेतु उनके कार्य की वैज्ञानिक विषय-वस्तु के मूल्यांकन एवं भर्ती के लिए केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का एक समुचित मूल्यांकन बोर्ड गठित किया जायेगा। यह मूल्यांकन बोर्ड सुनम्य अनुपूरक प्रणाली के अधीन विचार करने हेतु योग्यता को उचित सिद्ध करने के लिए, किये गये कार्यों की विशिष्ट विषय-वस्तु का एक पृष्ठ को सारांश तैयार करेगा। मूल्यांकन बोर्ड का गठन निम्न प्रकार से होगा, अर्थात् :-</p>		
पद	बोर्ड की बाह्य स्क्रीनिंग कमेटी का संयोजन	
वैज्ञानिक "च" एवं वैज्ञानिक "ड"	सचिव, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय या उनका नाम निर्देशित जो चयन किए जाने वाले पद (पदों) के स्तर से कम से कम दो स्तर ऊपर हो।	—अध्यक्ष
	बोर्ड का एक सदस्य (सचिव, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा नाम निर्दिष्ट)	—सदस्य
	अध्यक्ष, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	—सदस्य
	इस क्षेत्र में विशेषज्ञता प्राप्त तीन विशेषज्ञ (सचिव, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा नाम निर्दिष्ट)	—सदस्य
	संयुक्त सचिव, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय (केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मामलों से संबद्ध)	—सदस्य
वैज्ञानिक "घ"	अध्यक्ष, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	—अध्यक्ष
वैज्ञानिक "ग" एवं वैज्ञानिक "ख"	बोर्ड का एक सदस्य (अध्यक्ष, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा नाम निर्दिष्ट)	—सदस्य
	संयुक्त सचिव (पर्यावरण एवं वन मंत्रालय में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मामलों से संबद्ध) या उनका नाम निर्देशित	सदस्य
	प्रदूषण नियंत्रण के क्षेत्र में विशेषज्ञता प्राप्त तीन विशेषज्ञ (अध्यक्ष, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा नाम निर्दिष्ट)	सदस्य
	सदस्य सचिव, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	—सदस्य

टिप्पणी :

1. पहले स्तर की स्क्रीनिंग के लिए बोर्ड की आन्तरिक स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्य तथा दूसरे स्तर की स्क्रीनिंग के लिए केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की मूल्यांकन समिति, जिस स्तर के अधिकारियों के चयन तथा प्रोन्नति पर विचार किया जा रहा है, उनसे कम से कम एक स्तर ऊपर होगा।

- II. स्क्रीनिंग कमेटी/मूल्यांकन बोर्ड आयोजित साक्षात्कार, पूर्व कार्य-निष्पादन तथा वार्षिक कार्य रिपोर्ट (परिशिष्ट-III) के मूल्यांकन के आधार पर अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करेगा।
 - III. अध्यक्ष से भिन्न कमेटी के किसी सदस्य की अनुपस्थिति में कमेटी की कार्यवाही अविधिमान्य नहीं होगी।
 - IV. कमेटी की सिफारिशें, नियुक्तकर्ता प्राधिकारी द्वारा स्वीकृति की तिथि से प्रभावी होंगी।
3. विनियम 9 निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित होगा, अर्थात् :-
- “सुनम्य अनुपूरक प्रणाली के अधीन प्रोन्नति के लिए मापदण्ड :-”**
- (क) वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट के अतिरिक्त किये गये कार्य वैज्ञानिक स्वरूप पृथक करने के लिए अधिकारी द्वारा एक वार्षिक कार्य रिपोर्ट प्रपत्र (परिशिष्ट-II) भरा जायेगा तथा रिपोर्टिंग अधिकारी उस पर रिपोर्ट करेगा। सुनम्य अनुपूरक प्रणाली के अधीन प्रोन्नति हेतु विचार के समय आन्तरिक पीयर मूल्यांकन भाग-‘ग’ में होगा।
 - “वार्षिक कार्य रिपोर्ट” पर नया प्रपत्र, वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट रिकार्ड करने की नियमित प्रणाली का स्थान नहीं लेगा। मूल्यांकन एवं स्क्रीनिंग के लिए विचाराधीन अधिकारी द्वारा प्रस्तावित प्रपत्र भरा जायेगा।
 - (ख) सुनम्य अनुपूरक प्रणाली के लिए योजना के अनुसार पात्र सभी वैज्ञानिक तथा जो वैज्ञानिक ‘ग’ के लिए ‘अच्छा’ तथा वैज्ञानिक ‘घ’ तथा उससे ऊपर के लिए ‘बहुत अच्छा’ का बेंचमार्क पूर्ण करते हों, उनके संबंध में सुनम्य अनुपूरक प्रणाली के अधीन उन्नयन पर विचार किया जायेगा। असाधारण रूप से योग्य अभ्यर्थियों जिनके पास सभी उत्तम ग्रेडिंग हों, को पदावास अवधि में छूट दी जा सकेगी। यह छूट किसी एक समय पर एक वर्ष से अधिक नहीं होगी, जो सम्पूर्ण सेवा अवधि में अधिकतम दो बार के लिए सीमित होगी। तथापि अगला ग्रेड प्रदान करने के लिए सुनम्य अनुपूरक प्रणाली के अंतर्गत मूल्यांकन मात्र तीन बार किया जाएगा और इसके उपरान्त वैज्ञानिक इस योजना के प्रावधानों के अनुरूप संशोधित सुनिश्चित करियर उन्नयन योजना के अधीन होगा। ऐसा वैज्ञानिक, जिसे संशोधित सुनिश्चित करियर उन्नयन योजना के अधीन कोई ग्रेड प्रदान किया गया हो, उसके संदर्भ में सुनम्य अनुपूरक प्रणाली की पात्रता और अन्य प्रावधानों के अनुसार सुनम्य अनुपूरक प्रणाली के अधीन अगला ग्रेड प्रदान करने पर विचार किया जायेगा।
 - (ग) ऐसे वैज्ञानिकों/तकनीकी विशेषज्ञों के संबंध में सुनम्य अनुपूरक प्रणाली के अधीन उन्नयन हेतु विचार नहीं किया जायेगा जो प्रबंधन/प्रशासनिक कार्य कर रहे हों। उन्हें केवल संशोधित सुनिश्चित करियर उन्नयन योजना के अधीन उन्नयन का लाभ प्राप्त होगा।
4. निम्नलिखित को विद्यमान विनियम 9 क, के रूप में अंतःस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :-
- “वैज्ञानिकों की उन्नति के लिए एक वैकल्पिक माध्यम प्रदान करने हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के कर्मचारियों के लिए स्वीकृत संशोधित सुनिश्चित करियर उन्नयन योजना को सुनम्य अनुपूरक प्रणाली के अधीन सम्मिलित वैज्ञानिकों के संबंध में भी लागू किया जायेगा एवं यह संभावित है कि इसके अन्तर्गत मूल्यांकन की कसौटी सुनम्य अनुपूरक के अधीन अपेक्षित मूल्यांकन के अनुरूप ही सख्त होगी।”
5. विनियम 10 का सन्वियम (3) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित होगा, अर्थात् :
- “अनुसंधान एवं विकास में क्षेत्र अनुभव और/या ऐसी वैज्ञानिक परियोजनाओं के कार्यान्वयन का अनुभव, वैज्ञानिकों की उच्च ग्रेडों में प्रोन्नति के लिए अनिवार्य है। वैज्ञानिक “च” में प्रोन्नति के लिए कम से कम 2 वर्ष का क्षेत्र अनुभव अनिवार्य होगा।”
6. निम्नलिखित को ‘परिशिष्ट-II’ के नोट 6 के नीचे ‘परिशिष्ट-III’ के रूप में जोड़ा जाएगा, अर्थात् :-

‘परिशिष्ट-III’

[कृपया विनियम 9 देखें]

वार्षिक कार्य रिपोर्ट

भाग-क

अधिकारी जिसकी रिपोर्ट लिखी जा रही है उसके द्वारा स्व-मूल्यांकन

1. नाम :
2. पदनाम :

3. वैज्ञानिक एवं तकनीकी कार्यसंचालन का क्षेत्र :
4. वैज्ञानिक एवं तकनीकी कार्यसंचालन का संक्षिप्त विवरण :
5. कार्यसंचालन के मूल्यांकन एवं परिमाण हेतु वैज्ञानिक एवं तकनीकी परिणाम संसूचक (जैसा कि संबंधित अधिकारी के लिए उपयुक्त हो)
6. वैज्ञानिक एवं तकनीकी कार्यसंचालन के मुख्य परिणामों का विस्तृत विवरण
7. किये गये कार्य में नवीनता (लगभग 100 शब्दों में)
8. गत तीन वर्षों में किये गये कार्य का वित्तीय वर्ष के दौरान रिपोर्ट किया गया विशेष प्रभाव (यदि कोई हो)
9. कार्यसंचालन में वैज्ञानिक एवं तकनीकी पद्धतियों का उपयोग
10. कार्यसंचालन में नवीन एवं विकसित हो रहे वैज्ञानिक सिद्धान्तों पर आधारित सुझाव (यदि कोई हो)
11. कार्य योजना/कार्यसंचालन में अधिकारी द्वारा यदि किसी नई प्रौद्योगिकी का प्रवर्तन किया गया हो
12. किये गए कार्य की किसी विशेष वैज्ञानिक एवं तकनीकी विषयवस्तु के संबंध में कोई अन्य उपलब्धि
13. वित्तीय वर्ष के दौरान किये गये कार्य में निहित वैज्ञानिक एवं तकनीकी विषयवस्तु पर एक पृष्ठ का सारांश
14. चयनित संसूचकों के अनुसार परिमाणित वैज्ञानिक एवं तकनीकी निर्गत कार्य (परिशिष्ट के रूप में)

रिपोर्टगत अधिकारी के हस्ताक्षर

भाग-ख

रिपोर्टिंग अधिकारी द्वारा मूल्यांकन

1. वैज्ञानिक एवं तकनीकी कार्य रिपोर्ट की परिशुद्धता
क. सामान्य रूप से परिशुद्ध
ख. संशोधन की आवश्यकता (कृपया विनिर्दिष्ट करें)
2. किये गये कार्य की वैज्ञानिक गुणवत्ता
1-10%, 10-33%, 33-50%, 50-75%, न्यूनतम 25%
3. किये गये कार्य में प्रवर्तित कार्यों का संक्षिप्त सारांश
4. वैज्ञानिक कार्य रिपोर्ट का सामान्य मूल्यांकन (संक्षिप्त में)
5. अन्तिम वर्गीकरण
1-10%, 10-33%, 33-50%, 50-75%, न्यूनतम 25%

रिपोर्टिंग अधिकारी के हस्ताक्षर

भाग-ग

आंतरिक पीयर समूह समीक्षा रिपोर्ट

1. रिपोर्ट किये गये कार्य की वैज्ञानिक एवं तकनीकी विषयवस्तु का वर्गीकरण
2. अभिज्ञात विशिष्ट नवीन तत्व
(क)
(ख)
(ग)
3. संबंधित क्षेत्र में कार्य कर रहे पीयर वर्ग को ध्यान में रखते हुए प्रतिवेदित कार्यों का संगत मूल्यांकन
उच्चतम 10%, 10-33%, 33-50%, 50-75%, न्यूनतम 25%
4. पदावास अर्वाधि के दौरान किये गये कार्य का मूल्यांकन

5. किये गये वैज्ञानिक एवं तकनीकी कार्य में विनिर्दिष्ट मुख्य बातें
6. पदावास अवधि के लिए वैज्ञानिक एवं तकनीकी कार्य रिपोर्ट की समग्र प्रेडिंग उच्चतम 10%, 10-33%, 33-50%, 50-75%, न्यूनतम 25%

पीयर समूह के सदस्यों के हस्ताक्षर

परिशिष्ट वार्षिक कार्य रिपोर्ट

1. विश्वविद्यालयों/संगोष्ठियों/उद्योगों के साथ बैठकों में दिए गये व्याख्यान
 - क. नामांकित
 - ख. आमंत्रित
2. पुस्तक लेखन एवं संपादन
3. अनुसंधान संबंधी प्रकाशन
4. जिन विषयों पर कार्य किया गया हो या अन्यथा के संबंध में नवोन्नत रिपोर्ट तैयार करना
5. वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना
6. आंतरिक रिपोर्ट बनाना
7. विद्यमान योजनाओं के कार्यक्षेत्र में विस्तार के लिए नये वैज्ञानिक एवं तकनीकी क्षेत्रों की पहचान
8. नए विज्ञान एवं तकनीक की पहचान और प्रोत्साहन तथा चल रही योजनाओं में शामिल वैज्ञानिक एवं तकनीकी निर्विष्ट
9. परियोजनाओं के वैज्ञानिक संचालन हेतु तैयार डाटाबेस
10. पूरे देश में अनुसंधान और विकास के अवसरचना आधार को बढ़ाने के लिए की गई वैज्ञानिक और प्रमाण-आधारित पहल
11. प्रौद्योगिकी के प्रदर्शन के लिए नये क्षेत्रों की पहचान और उस पर अनुवर्ती कार्रवाई
12. विकसित एवं परिनिर्जित परियोजना प्रबोधन पैरामीटर
13. विज्ञान एवं तकनीक हेतु प्रौद्योगिकी कुशलता/मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार करना
14. विभिन्न समितियों में अन्तर-मंत्रालयी चर्चाओं के दौरान उपलब्ध कराया गया वैज्ञानिक एवं तकनीकी सहयोग
15. उन परियोजनाओं की संख्या जिन्हें वर्ष के दौरान बंद करने हेतु वैज्ञानिक रूप से मूल्यांकित किया गया
16. आरम्भ किये गये नेटवर्क कार्यक्रम (कृपया अपने योगदान की प्रमुख विशिष्टताओं एवं संख्या का उल्लेख करें)
 - क. प्रयोगशाला से प्रयोगशाला के बीच
 - ख. प्रयोगशाला और उद्योग के बीच
 - ग. द्विपक्षीय
 - घ. बहुपक्षीय
17. वर्ष के दौरान तैयार की गई नीतियां/बिल
18. प्राप्त अवार्ड/संस्थाओं/अकादमी की सदस्यता
19. अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)

व्याख्यात्मक ज्ञापन

केन्द्रीय सरकार ने कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 10 सितम्बर, 2010 के कार्यालय ज्ञापन संख्या ए.पी. 14017/37/2008-स्था. (भ.नि.), द्वारा वैज्ञानिकों के लिए 01-01-2011 से प्रभावी छठे वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित संशोधित सुनम्प अनुपूरक प्रणाली के कार्यान्वयन हेतु निदेश जारी किये हैं। इन निर्देशों को कार्यान्वयन की दृष्टि से 'केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में वैज्ञानिक एवं तकनीकी समूह 'क' पदों संबंधी विनियम, 2009' को तदनुसार सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से संशोधित किया जा रहा है।

संत प्रसाद गौतम, अध्यक्ष
[विज्ञापन III/4/184/11/असा.]

टिप्पणी : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग III, खण्ड 4, में सं. बी-12015/33(34)/सम./2009, दिनांक 12 जनवरी, 2010 के द्वारा प्रकाशित किये गये थे।

3913 5 11-2

CENTRAL POLLUTION CONTROL BOARD

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th October, 2011

No.B-12015/33(34)/Co-Ord./2009.—In exercise of the powers conferred by sub-section 3A of Section 12 of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (6 of 1974), the Central Pollution Control Board, with the previous approval of the Central Government, hereby makes the following regulations to amend the Scientific and Technical group 'A' posts in Central Pollution Control Board Regulations, 2009, namely :—

1. (1) These regulations may be called "The Scientific and Technical group 'A' posts in Central Pollution Control Board (Amendment) Regulations, 2011.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. Regulation 8 relating to 'Recruitment, Review and Promotion' shall be substituted by the following, namely :—

"Recruitment, Review and promotion :—

- (1) There shall be two levels of assessment for Flexible Complementing Scheme (FCS). The first one would be at internal level for screening purpose and next level assessment should have majority of external members.
- (2) Board's Internal Screening Committee for level 1 screening (Internal):— There shall be constituted an appropriate Board's Internal Screening Committee for evaluation of annual work reports vis-a-vis the criteria for upgradation under the FCS, as follows, namely :—

Post	Composition of Board's Internal Screening Committee	
Scientist F and Scientist E	Secretary, MoEF or his nominee who shall be at least two levels above the level of the post(s) for which selection is to be made	—Chairman
	Chairman, Central Pollution Control Board	— Member
	One expert from the Ministry of Environment and Forests (to be nominated by the Secretary, MoEF)	—Member
Scientist D, Scientist C and Scientist B	Chairman, Central Pollution Control Board	—Chairman
	One member from Central Pollution Control Board or outside member (to be nominated by the Chairman, CPCB)	— Member
	Joint Secretary (dealing with CPCB matters in the MoEF) or his nominee	—Member
	Member Secretary, CPCB	—Member

The Internal Screening Committee would report on the scientific content of work done by the Scientist in part C of the reporting format [Appendix-III] which would be made available to the Assessment Board of the CPCB for level 2 screening (External).

- (3) Assessment Board of the CPCB for level 2 screening (External): There shall be constituted an appropriate Assessment Board of the CPCB for recruitment and for the assessment of the scientific content of the work of scientists for their suitability for higher grade. The Assessment Board shall document specifically through one page summary, the specific content of the work done justifying the merit for consideration under FCS. The constitution of the Assessment Board shall be as follows, namely:—

Post	Composition of Board's External Screening Committee	
(1)	(2)	
Scientist F and Scientist E	Secretary, MoEF or his nominee who shall be at least two levels above the level of the post(s) for which selection is to be made	—Chairman
	One Board Member (to be nominated by the Secretary, MoEF)	—Member
	Chairman, Central Pollution Control Board	—Member

Scientist D, Scientist C and Scientist B	Three experts possessing expertise in the field (to be nominated by the Secretary, MoEF)	—Members
	Joint Secretary, MoEF (dealing with CPCB matters)	—Member
	Chairman, Central Pollution Control Board	—Chairman
	One Board Member (to be nominated by the Chairman, Central Pollution Control Board)	—Member
	Joint Secretary (dealing with CPCB matters in the MoEF) or his nominee	—Member
	Three experts possessing expertise in the field (to be nominated by the Chairman, CPCB)	—Members
	Member Secretary, CPCB	—Member

Note:

- (i) The members of the Board's Internal Screening Committee for level-1 screening and Assessment Board of the CPCB for level 2 screening shall be at least one level above the level for which the persons are to be considered for selection and promotion.
- (ii) The Committee/Board shall make their recommendations on the basis of the interview held, the evaluation of the past performance of the candidates and the Annual Work Report (Appendix-III).
- (iii) The absence of a member of the Committee other than Chairman shall not invalidate the proceedings of the Committee.
- (iv) The recommendations of the Committee shall be effective from the date on which the appointing authority approves the recommendations.

3. Regulation 9 shall be substituted by the following, namely:—

Criteria for considering promotions under Flexible Complementing Scheme:—

- (a) An annual work report format to capture scientific content of work performed (Appendix-III) would be filled up by the officer along with the ACR and would get reported upon by the reporting officer. The internal peer assessment would be in part 'C' at the time of consideration under FCS.
The new format on "annual work report" will not replace the regular system of recording ACR. The proposed format will be filled by the officer under consideration for the purpose of assessment and screening.
 - (b) All scientists eligible as per the scheme for the FCS and meeting the benchmark of 'Good' for Scientist C and 'Very Good' for Scientist D and above shall be considered for up-gradation under FCS. Exceptionally meritorious candidates with all outstanding grading may be granted relaxation in the residency period, the relaxation being not more than one year on any single occasion, limited to a maximum of two occasions in their entire career. However the assessment under FCS for next grade would only be three times and thereafter the scientist would be covered under modified ACP scheme according to provisions of that scheme. The scientist who has been granted any grade under MACP can be considered for next grade under FCS according to the eligibility and other provisions of FCS.
 - (c) Scientists/Technical experts doing management/ administrative work shall not be considered for up gradation under FCS. They shall only be given benefit of up gradation under MACP."
4. The following shall be inserted in the existing Regulations as 'Regulation 9 A', namely:—
"The Modified ACP as approved for employees of the CPCB would also be applicable to scientists covered under Flexible Complementing Scheme to provide an alternate channel for development for scientists and is expected to maintain the rigors of assessment required for assessment under FCS."
5. Sub-Regulation (3) of Regulation 10 shall be substituted by the following, namely:—
"Field experience in research and development and/or experience in implementation of such scientific projects is compulsory for promotion of scientists to higher grades. Field experience of at least two years will be essential for promotion to Scientist E."
6. The following shall be added as 'Appendix-III' below Notes 6 of 'Appendix-II', namely:—

39125711-3

[See regulation 9]

Annual Work Report

Part A

SELF ASSESSMENT BY THE OFFICER REPORTED UPON

1. Name :
2. Designation :
3. Area of S& T Function
4. Brief Description of S& T work function :
5. S& T output indicators for assessment and measurement of work function (as appropriate to the officer)
6. Enumeration of major outputs from S& T Function
7. Innovation content of work done (about 100 words)
8. Major impact reported during the financial year (if any) for work done during previous three years.
9. Scientific and technological methodologies used in the work function
10. Suggestions (if any) for work functions based on new or emerging scientific principles
11. New technologies if any introduced by the officer in work plan/functions
12. Any other highlight of special S&T content in the work
13. One page summary of the scientific and technical elements in the work done during the financial year
14. Quantified S&T outputs as per the selected indicators (as annexed)

Signature of the officer reported upon

Part-B

Assessment by the Reporting Authority

1. Accuracy of the S&T work report
 - a. Generally accurate
 - b. Modifications needed (please specify)
2. Scientific merit of the work done
1-10%, 10-33%, 33-50%, 50-75% Bottom 25%
3. Short summary of the innovative content of the work done
4. General assessment of the scientific work report (in brief)
5. Final grading
1-10%, 10-33%, 33-50%, 50-75% Bottom 25%

Signature of the Reporting Officer

Part-C

INTERNAL PEER GROUP REVIEW REPORT

1. Grading of the S& T content of work reported
2. Specific Innovation elements recognized
 - (a)
 - (b)
 - (c)
3. Relative Assessment of the work reported vis-a-vis Peers in the area
Top 10%, 10-33%, 33-50%, 50-75% Bottom 25%
4. Assessment of the work done during the residency period

5. Specific highlights of the S& T content of the work done
6. Overall grading of the S&T work report for the residency period
 - Top 10%, 10-33%, 33-50%, 50-75%
 - Bottom 25%

Signature of the Members of the Peer Group

Annexure (to Annual Work Report)

1. Lectures delivered in universities/seminars/industry meets
 - a. Enrolled
 - b. Invited
2. Books edited or written
3. Research publications
4. State-of-the Art Reports prepared on the subject handled or otherwise
5. Annual reports prepared
6. Internal reports generated
7. New S & T areas/gaps identified for enlarging the scope of the existing schemes
8. New S & T identified and nurtured and S & T inputs added to ongoing schemes
9. Data bases prepared for scientific handling of the projects
10. Scientific and evidence-based initiatives taken to enlarge the infrastructure base of research and development across the country
11. Identification of New Areas for demonstration of technologies and follow-up
12. Project Monitoring Parameters evolved and deployed
13. Technology intelligence/assessment report prepared for S& T
14. S & T inputs provided to inter-Ministerial discussions in various committees
15. Number of projects scientifically evaluated for closure during the year
16. Networked Programmes initiated (please give numbers and salient features of your contribution)
 - a. Between lab to lab
 - b. Lab and industry
 - c. Bilateral
 - d. Multilateral
17. Policies/ Bills prepared during the year
18. Awards/ Membership of Institutions/Academies
19. Others (please specify)

EXPLANATORY MEMORANDUM

The Central Government has issued directions *vide* Department of Personnel and Training's Office Memorandum No. AB-14017/37/2008-Estt. (RR), dated the 10th September, 2010 for implementation of the Modified Flexible Complementing Scheme for Scientists based on the recommendations of the Sixth Central Pay Commission with effect from 1st January, 2011. With a view to implement these directions, "The Scientific and Technical group 'A' posts in Central Pollution Control Board Regulations, 2009", are accordingly being amended with effect from the date of publication in the Official Gazette.

SANT PRASAD GAUTAM, Chairman

[ADVT III/4/184/11/Exty.]

Note :—The principal rules were published in Part III, Section 4 of the Gazette of India, Extraordinary, *vide* No. B-12015/33(34)/Co-Ord/2009, dated the 12th January, 2010.